हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हीराराम वगैरा बनाम सरकार धारा 136 प्रकरण सख्या 91 / 2014	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 91 / 2014 **हिराराम वगैरा** बनाम तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्यो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लुणी के खसरा नम्बर 237 / 2, 237 / 4, 238, 238 / 2, 483 / 1, कुल खसरा सख्या 5 कुल रकबा 59.12 बीधा मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कानाराम पुत्र आईदानराम का नाम हटाया जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसमे तहसीदार लूणी से जबाव / मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई तहसीलदार लूणी के पत्र कमाक / भू.अ / 2020 / 4477 दिनाक 24.02. 2020 के तहत जॉच रिपोट प्राप्त हुई। जिसमे तहसीलदार द्वारा मिसल बन्दोबस्त अनुसार उपरोक्त खसरान् की भूमि मांगीया मोतीडा गणेश व आईदान हरदान पि,पुनमाराम जाति मेगवाल के नाम से दर्ज है और जमाबन्दी सवत 2020–2023 मे उक्त खसरान् की भूमि हरदान पुत्र पूनमाराम कानाराम पुत्र आईदानराम जाति मेधवाल सा, देह खातेदार के नाम दर्ज है तहसीलदार रिपोर्ट मे नामान्तरकरण की जॉच करने पर आईदानराम फौत होने पर कानाराम के नाम का नामान्तरकरण दर्ज नही पाया गया । पत्रावली का अवलोकल किया गया जिसमे यह पाया गया कि तहसीलदार (भू.अ) लूणी की जॉच दिनाक 24.02.2020 के अनुसार आईदानराम फौत होने पर कानाराम के नाम नामान्तरकरण दर्ज होना नही पाया गया।जमाबन्दी सवत 2020–2023 मे उक्त खसरान् हरदान पुत्र पूनमाराम कानाराम पुत्र आईदानराम जाति मेधवाल सा, देह खातेदार के नाम दर्ज है इसी अनुरूप निरन्तर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे दर्ज होने से धारा 136 भू राजस्व अधिनियम तहत रेकर्ड दुरूस्ती का प्रकरण नही बनता है। प्रार्थी धारा 75 भू ,राजस्व अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय मे अपील करने के लिए स्वतत्र है अत– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता हैं पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दााखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	